न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-द्वितीय, चन्दौली।

सरकार बनाम मुसाफिर यादव वगैरह

सत्र परीक्षण संख्या-86/2015

दिनाँक-09.11.2021

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य नियत है। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त निर्मल सिंह यादव जमानत पर रहते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आये, अभियुक्तगण श्यामलाल, अवधेश, मोहन, बृजेष, जनार्दन व सुरेन्द्र की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत, आज के लिए स्वीकृत। अभियुक्त रामसूरत यादव पुत्र घुरफेकन यादव को निर्गत प्रोसेस थाना सकलडीहा से इस आशय की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हुआ कि वारण्टी रामसूरत यादव पुत्र घुरफेकन यादव, निवासी ग्राम छितमपुर, थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली की मृत्यु दिनाँक 12.06.2020 को हो गयी है। उक्त रिपोर्ट प्रेषित करने वाले उपनिरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार का न्यायालय साक्षी संख्या-1 के रूप मे बयान दर्ज किया गया है। उक्त न्यायालय साक्षी ने संक्षेपतः इस आशय का सशपथ कथन किया है कि अभियुक्त रामसुरत यादव उपरोक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत प्रोसेस के तामीला हेतु अभियुक्त के घर गया तो परिजनो ने बताया कि अभियुक्त रामसूरत की मृत्यु दिनाँक 12.06.2020 को हो गयी है एवं परिजनो द्वारा अभियुक्त के मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति भी मुझ उपनिरीक्षक को प्राप्त करायी गयी, जो शामिल पत्रावली है, जिस पर वस्तु प्रदर्श-1 डाला गया। अतः न्यायलाय साक्षी संख्या-1 उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार के बयान एवं दाखिल मृत्यु प्रमापण की छायाप्रति से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त रामसुरत यादव की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किये जाने योग्य है।

तद्नुसार अभियुक्त रामसूरत यादव पुत्र घुरफेकन यादव के विरूद्ध प्रश्नगत वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक 20.11.2021 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हो।

ए.एस.जे./एफ.टी.सी.-द्वितीय,
चन्दौली।